न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 18/2017

बउनवान

बृजमोहन पुत्र सूरजमल ब्राह्मण (मृतक)

1/1 श्रीमति कान्तिबाई आयु 60 वर्ष पत्नि श्री बृजमोहन

1/2 संजय कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र श्री बृजमोहन

1/3 राम बाबू आयु 39 वर्ष पुत्र श्री बृजमोहन

1/4 रूपेश आयु 36 वर्ष पुत्र श्री बृजमोहन जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण कोयला तहसील बारां जिला बारां

2. संजय शर्मा आयु 42 वर्ष पुत्र बृजमोहन ब्राह्मण, निवासी कोयला (यह बृजमोहन मृतक का वारिस संख्या 1/2 भी है)
3. ओमप्रकाश पुत्र पांचूलाल माली निवासी कोयला तहसील बारां
4. बृजमोहन पुत्र भैरूलाल माली निवासी कोयला तहसील बारां जिला बारां **(प्रार्थीगण)**

बनाम

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति बारां जिला बारां
2. जिला रसद अधिकारी बारां जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज०)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ग–2 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :— 1. श्री देवकीनन्दन गालव अभिभाषक **(प्रार्थीगण)**

2. पेरोकार रसद **(अप्रार्थी कम 2)**

निर्णय दिनांक 27.03.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.01.2004 को तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक पंचायत समिति, बारां ने थाना कोतवाली बारां में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 08.01.2004 को एस.डी.एम. बारां द्वारा बी.डी.ओ. पंचायत समिति बारां को फोन पर दिये गये निर्देशानुसार विकास अधिकारी के साथ पुलिस द्वारा ट्रेक्टर नंबर आर0जे0 28 आर 6585 में भरे गेंहू की जांच करने पर ट्रोली में भरे गेंहू 35 क्विं. 01 किलो कोयला के राशन डीलर संजय शर्मा के पिता बृजमोहन पुत्र सूरजमल ब्राह्मण द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली में भरवाकर कृषि उपज मण्डी समिति बारां में बेचने के लिये भेजना बताया है। उक्त गेंहू को जब्त कर तफ्तीश शुरू की तथा ट्रेक्टर मालिक/चालक ओमप्रकाश उसका साथी बृजमोहन माली एवं संजय शर्मा के विरूद्ध 3/7 ई.सी.एक्ट में चार्जशीट पेश की। अनुसंधान के दौरान विकास अधिकारी बारां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (ए) ई.सी.एक्ट के तहत जब्तशुदा गेंहू को विक्रय कर राशि जिला रसद अधिकारी बारां के राजकोष में जमा करने [illegible] आदेश दिनांक 09.03.2004, प्रकरण संख्या 1/2004 बउनवान सरकार जर्ये विकास अधिकारी बारां बनाम ओ[illegible] वगैरह, को फरमाते हुये ट्रेक्टर को गेंहू की कीमत 23106.60 रूपये जमा क[illegible] आदेश फरमाया। उक्त आदेश की अपील में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय [illegible] ने अपील संख्या [illegible]0/2004 बउनवान ओमप्रकाश वगैरह बनाम सरकार में निर्णय दिनांक [illegible]07.2004 से अपील [illegible] स्वीकार कर गेंहू की कीमत जमा करने पर ट्रेक्टर रिलीज करने [illegible] आदेश को अपास्त करते हुए गेंहू की कीमत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्ति के बाद मय ब्याज गेंहू स्वामी को लौटाने का विकल्प उल्लेखित फरमाया। पुलिस थाना कोतवाली बारां द्वारा पेश आपराधिक प्रकरण का निर्णय दिनांक 27.09.2016 को फरमा कर प्रार्थीगण को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया है अस्तु श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां के आदेश दिनांक 05.07.2004 की पालना में प्रकरण में जब्त गेंहू 35 क्विं. 01 किलो की कीमत 23106.60 रूपये जब्ती दिनांक 08.01.2004 से मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक प्रार्थी को लौटाने का आदेश जिला रसद अधिकारी बारां को प्रदान करें। तथा प्रार्थी संजय शर्मा का उचित मूल्य दुकान कोयला का लाईसेंस निलम्बित करने का आदेश निरस्त कर पुनः लाईसेंस जारी करने की आज्ञा प्रदान करें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। अतः हमने प्रकरण सीधे बहस हेतु नियत किया।

3– दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 09.01.2004 को प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा थाना कोतवाली बारां में एफ.आई.आर. संख्या 22/2004 दर्ज कराई गई जिसमे बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व 3/8 के प्रकरण माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां मे पेश किया गया जो अंतरित होकर माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां में प्रकरण संख्या (54/04) 386/2011 दर्ज हुआ।

इसके साथ ही विकास अधिकारी पंचायत समिति बारां ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ''ए'' के तहत न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में पेश किया जो प्रकरण संख्या 01/2004 बउनवान सरकार जर्ये विकास अधिकारी पंचायत समिति बारां बनाम ओमप्रकाश वगैरह दर्ज हुआ। न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 01/2004 में बाद सुनवाई दिनांक 09.03.2004 को निर्णय पारित कर ''प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 35 क्विं. 01 किलो गेंहू को राजसात कर निर्देशित किया गया कि जब्तशुदा गेंहू 35 क्विं. 01 किलो गेंहू की नीलामी कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करें, उचित मूल्य दुकानदार श्री संजय शर्मा द्वारा दैनिक रूप से गेंहू वितरण नहीं किया गया है जो प्रदत्त प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना है। अतः श्री संजय शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार कोयला II का अनुज्ञापत्र निलम्बित किया जाता है तथा अप्रार्थी ओमप्रकाश ट्रेक्टर मालिक जब्तशुदा गेंहू 35 क्विं. 01 किलो गेंहू की निर्धारित दर 660/– रूपये प्रति क्विंटल से 23106.60/– रूपये जिला रसद कार्यालय बारां में अमानत जमा करा दे तो जब्तशुदा ट्रेक्टर नं. आर. जे. 28 आर 6585 मय ट्रोली को रिलीज करने की स्वीकृति दी जाती है।''

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां में अपील संख्या 70/2004 पेश की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.07.2004 से आदेश पारित किया कि जिला कलक्टर, बारां द्वारा गेंहू जब्त सरकार करने का जो आदेश दिया गया है में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा लेकिन फौजदारी प्रकरण के निर्णय [illegible] करेगा। तथा ट्रेक्टर सुपुर्दगी संबंधी आदेश गेंहू के बराबर राशि नकद 23,106.60/– [illegible] अपास्त किया जाकर सशर्त ट्रेक्टर मालिक ओमप्रकाश को ट्रेक्टर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के प्रकरण संख्या (54/04) 386/2011 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2016 को निर्णय पारित किया

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जाकर "अभियुक्तगण ओमप्रकाश पुत्र पांचूलाल जाति माली, बृजमोहन पुत्र भैरूलाल जाति माली एवं संजय शर्मा पुत्र ब्रजमोहन जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कोयला पुलिस थाना बारां सदर जिला बारां को अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 एवं 3/8 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।"

चूंकि अप्रार्थीगण क्रम 2 ता 4 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा प्रकरण संख्या (54/04) 386/2011 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2016 द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां में अपील संख्या 70/2004 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2004 की पालना में प्रार्थीगण क्रम 1/1 ता 1/4 को गेंहू की जमाशुदा राशि 23,106.60/- रूपये मय 18 प्रतिशत वार्षिक के लौटाये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

4— बहस के दौरान अप्रार्थी पेरोकार रसद ने अभिभाषक प्रार्थीगण के कथन का खण्डन नहीं किया तथा राशि लौटाये जाने में कोई आपत्ति नहीं की।

5— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 01/2004 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2004 की अपील में माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां ने अपील संख्या 70/2004 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2004 से जिला कलक्टर, बारां द्वारा गेंहू जब्त सरकार करने का जो आदेश दिया गया है में हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना लेकिन फौजदारी प्रकरण के निर्णय पर निर्भर करेगा आदेश पारित किया। तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां मे विचाराधीन फौजदारी प्रकरण संख्या (54/04) 386/2011 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2016 को निर्णय पारित किया जाकर अप्रार्थीगण को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया है। परन्तु ब्याज अदायगी बाबत माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां ने अपील संख्या 70/2004 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2004 में कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये हैं। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

6— अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 35.01 क्विंटल गेहूं की अमानत मद में जमाशुदा राशि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित की गई प्रार्थना अनुसार मृतक बृजमोहन पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी कोयला के वारिसान प्रार्थीगण क्रम 1/1 ता 1/4 को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां